तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/4420/2005/दौसा रामदेह बनाम लक्ष्मण	नम्बर व तारीख

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
एकलपीठ
श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित –
श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री समीर अहमद, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक 24–06–2022

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा द्वारा अपील संख्या 52/2005 बउनवानी लक्ष्मण व अन्य बनाम रामहेत में पारित निर्णय दिनांक 01–09–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि भू–आवंटन सलाहकार समिति, बादीकुई ने अपने आदेश दिनांक 27–6–2002 से अपीलार्थी के पक्ष में ग्राम रेहडिया स्थित आराजी खसरा नम्बर 322 रकबा 0.30हैक्टयर भूमि का आवंटन किया। उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु रेस्पोडेन्टगण ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14(4) आवंटन नियम, 1970 के तहत अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 11–03–2005 से खारिज कर दिया। अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित इस निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट ने भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 01–09–2005 से स्वीकार कर आवंटन आदेश को निरस्त कर दिया। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी गई।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने मीमों आफ अपील में अंकित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए तर्क किया कि अपीलार्थी को आवंटन सलाहकार समिति ने विधिवत् जांच कर आवंटन नियमों की पालना करते हुए और उद्घोषणा जारी करने के पश्चात् ही भूमि को आवंटन योग्य उपलब्ध होना मानते हुए, आवंटन आदेश जारी किया गया था। अपीलार्थी का विवादित आराजी पर पुराना कब्जा चला आ रहा है एवं अपीलार्थी भूमिहीन व्यक्ति

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/4420/2005/दौसा रामदेह बनाम लक्ष्मण	नम्बर व तारीख
	है और आवंटन की पात्रता रखता है, जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का ने आवंटन के समय पेश की थी। रेस्पोडेनट का विवादित भूमि पर कोई कब्जा या स्वत्व था तो उनको आवंटन या नियमन उनके पक्ष में करवाने की कार्यवाही करनी चाहिए थी। विवादित भूमि का अपीलार्थी को आवंटन उपरान्त कब्जा सुपुर्द करने की रिपोर्ट दिनांक 27-6-2002 है, जिसमें अपीलार्थी को आवंटित भूमि का कब्जा दिया गया है। अतिरिक्त जिला कलक्टर ने रेस्पोडेन्ट का आवंटन निरस्त कराने का प्रार्थनापत्र विधिसम्मत् आदेश से खारिज किया, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील में राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपील को स्वीकार कर आवंटन निरस्त करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। अतः अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित कि चुनौतीग्रस्त आदेश को अपास्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का तर्क है कि जमीन आवंटन के लिए 1970 के रूल्स बने हुए है और नियमों के हिसा से जो जमीन आवंटन करनी है, उसकी सूची बनेगी और जिसने आवेदन किया है उनकी सूची बनेगी और सूचना देते हुए उद्घोषणा जारी की जायेगी और यदि किसी जमीन पर कोई अतिक्रमी है तो उसे हटाया जाकर बेकब्जे की कार्यवाही की जावेगी और आवंटन में वरियता की छंटनी करते हुए ही आवंटन किया जावेगा। रामहेत पटवारी का रिश्तेदार है, अपीलार्थी के अलावा अन्य कौन कौन आवेदक थे, उनके बारे में क्या कार्यवाही की गयी, स्पष्ट नहीं है। अतिरिक्त जिला कलक्टर ने सामरिक तौर पर ही प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया। आवंटन के लिए बेदखली करना आवश्यक था। राजस्व अपील प्राधिकारी का आदेश सही है। अतः अपील खारिज की जावे। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी रामहेत ने परगना अधिकारी /उपखण्ड अधिकारी के यहां भूमिहीन होने के आधार पर आंवटन करवाने के लिए आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन पर कार्यवाही करते हुए पटवारी द्वारा रिर्पोट मंगवाई गयी। पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी के पास में कोई भूमि नहीं होना और ना ही अपीलार्थी या उसके बच्चों द्वारा कोई नौकरी करना पाया गया है और खसरा नम्बर 322 में रकबा 0.30 हैक्टयर भूमि आवंटन करने की सिफारिश की गयी है। उस पर आवंटन कमेटी द्वारा बाद कार्यवाही आवंटन की सिफारिश की गयी है और उपखण्ड अधिकारी द्वारा समिति की सिफारिश मानते हुए 0.30हैक्टयर भूमि का आवंटन किया गया है और उस आंवटन की पालना में दिनांक 27-6-2002 को भूमि का कब्जा भी सुपुर्द किया गया है जिसकी रिपोर्ट भी पत्रावली में संलग्न है। इसलिए रेस्पोडेन्ट का यह तर्क कि वह मौके	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/4420/2005/दौसा रामदेह बनाम लक्ष्मण	नम्बर व तारीख

पर काबिज था, मानने योग्य नहीं है। अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा अपने निर्णय में यह उल्लेख किया है कि विवादग्रस्त भूमि पर लक्ष्मण वगैराह काबिज हो ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी है और रामहेत के पास में रेडिया बांध के पास 25बीघा भूमि हो, इस बाबत् भी लक्ष्मण द्वारा कोई सबूत पेश नहीं किया है। रामहेत भूमिहीन व्यक्ति होने और आवंटन का पात्र मानते हुए कमेटी द्वारा आवंटन करने में कोई गलती नहीं मानी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जे के आधार पर यह उल्लेख किया है कि रेस्पोडेन्ट वगैराह का कब्जा है लेकिन उक्त निष्कर्ष विधिसम्मत् नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि वरियता सूची नहीं बनाई गयी लेकिन जब अन्य आवेदन ही उपलब्ध नहीं है तो वरियता सूची का कोई बिन्दू शेष नहीं रहता है। आवंटन समिति द्वारा विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए आवंटन किया जाना पाया गया है और रेस्पोडेन्ट के इस आवंटन से कोई हित प्रभावित होते हो, प्रकट नहीं है क्योंकि कब्जा सुपुर्द की रिपोर्ट अपीलार्थी के पक्ष में है। यदि रेस्पोडेन्ट का कब्जा होता तो कब्जा दिया जाना सम्भव नहीं होता। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय जिसके द्वारा आवंटन को निरस्त किया गया है, स्थिर रखे जाने योग्य है।

परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा द्वारा अपील संख्या–52/2005 बउनवानी लक्ष्मण व अन्य बनाम रामहेत व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 1–9–2005 अपास्त किया जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा द्वारा अपील संख्या–04/2004 बउनवानी लक्ष्मण व अन्य बनाम रामहेत व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 11–03–2005 को बहाल किया जाता है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)

सदस्य